



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-234

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 281088 दिनांक 05/02/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Lalita Devi W/o NARAYAND AS DAS SONI	श्री हरीनाथ जायसवाल पुत्र श्री राम अंधारे जायसवाल	47-A NORTH- PART	133.33 SQ. YARD	Private	ASHADEEP RESIDENCY Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना आशादीप रेजीडेंसी के भूखण्ड संख्या 47-ए(उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 133.33 व.ग. नाम हस्तांतरण पत्र/उपविभाजन पत्र क्रमांक डी-8343 दिनांक 28.10.2024 को सचिन अग्रवाल पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2024 को सचिन अग्रवाल पुत्र श्रवण कुमार अग्रवाल द्वारा रिद्धी-सिद्धी बिल्डर्स जरिये प्रोपराईटर श्री जयकिशन बडकेशिया पुत्र जीवणराम



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

बडकेशिया को कर दिया गया।
तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2026 को रिद्धी-सिद्धी बिल्डर्स जरिये प्रोपराईटर श्री जयकिशन बडकेशिया पुत्र जीवणराम बडकेशिया द्वारा ललिता पत्नी नारायण दास सोनी को कर दिया गया।
आवेदिका द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Lalita Devi W/o NARAYANDAS DAS SONI को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |